किसानों की
आवाज
का दस्तावेज

cecoedecon

सीमित वितरण हेतु

आवाज...

वर्ष–8 अंक–16 अप्रैल 2019 – मार्च 2020

किसान सेवा समिति महासंघ

सतत् विकास

04-05 मार्च 2020
स्थान- शीलकी डूंगरी, चाकसू

भीतर के पन्नों में

1. गिरते नैतिक मूल्य
2. सामाजिक परिवर्तन के प्रणेता (प्रेरणा स्त्रोत)
3. किसानों की राष्ट्रीय संगोष्ठी
4. कहाँ खो गये हैं तालाब
5. बीज बचाना जन्म सिद्ध अधिकार
6. बदलती जलवायु–खेती पर प्रभाव
7. क्या है ग्रीन हाउस गैसे–सार्थक प्रयास
8. समाज सुधारक–पूज्य जोशी जी
9. स्वतंत्रता के बाद भी सामाजिक असमानता व दलितों व महिलाओं पर बढ़ते उत्पीड़न
10. पूज्य गाँधी : एक निर्भिक व्यक्तित्व
11. टिड्डी दल हमले –ज्वलन्त मुद्दा व समाधान
12. शीर्ष संस्थाओं का क्षमतावर्धन
13. स्मार्ट फार्मिंग–बढ़ती आय
14. जैविक खेती–लाभ
15. रक्षण परियोज़ना
16. ओर नया जीवन मिला....
17. स्वच्छता की ओर युवाओं की पहल
18. युवा वर्ग व बेरोजगारी
19. शोषित पीड़ित हर किसान....

किसान सेवा समिति महासंघ

(स्वराज कैम्पस), एफ–159–160 सीतापुरा औद्योगिक एवं संस्थागत क्षेत्र, जयपुर–302022

द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय ....

गिरते नैतिक मूल्य

राष्ट्रीय संकट की घड़ी में देश के डॉक्टर (स्वास्थ्य कर्मी) एवं पुलिस कर्मी जान की परवाह न कर करोना वायरस से पूरे देश को बचाने में लगे है। प्रकृति को जीतने को सपना देखने वाला मानव असहाय व भयाक्रान्त नजर आ रहा है। ऐसा विकट समय जिसमें मानव सभ्यता का अस्तित्व ही डांवाडोल नजर आ रहा है।

भारत के अनेक सांसदगण व राज्यों के अनेक विधायकगण अपने–अपने क्षेत्रों में जाकर इस भीषण आपदा में जनता को भुखमरी भयमुक्त करने हेतु महामारी की भीषणता अग्रिम मोर्चे पर खड़े हैं। परन्तु भारत के एक–दो राज्य के माननीय अर्थशास्त्र एवं सत्ता के आगे नतमस्तक हो अपने जीवन मूल्यों को नीलाम कर रहे थे। उनकी बोली लग रही थी वे रातोंरात निष्ठायें बदल ये विधायकगण पांच सितारा होटलों की शोभा बढ़ा रहे थे। संवेदनशीलता एवं जवाबदेहिता भूल गये। इस वैश्विक आपदा के समय ये घटनाएं आहत करने वाली हैं।

जबकि राजनीति तिल–तिल जलकर समाज व राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक मार्ग है, पर अफसोस राजनीति में यह भावना लुप्त होती जा रही है। जबकि होना यह चाहिए इस वैश्विक महामारी के समय ये विधायकगण अपने–अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर आमजन की स्वास्थ्य सेवाओं में मदद करते, लोगों के बीच जाकर इस रोग के प्रति जागरूक कर भय से मुक्त कराने का उत्साह दिखाते परन्तु लग रहा है, सत्ताधारी राजनैतिक दलों द्वारा सत्ता बल, धन बल, बाहुबल का दुरूपयोग कर सत्ता हासिल करना ही अन्तिम लक्ष्य रह गया है। नैतिकता व सिद्धान्त मायने नहीं रखते। तभी तो इन्हें भूख से भटकते, बिलखते बच्चे, मजदूरों का क्रन्दन स्वर सुनाई नहीं दिया। यह भारतीय राजनीति के लिये शुभ संकेत नहीं है।

दल बदलने से दलों की सत्ता बदलने से शासक बदलने से देश में कुछ भी बदला नहीं जायेगा। चेहरे बदलते हैं, व्यवस्था बदलनी चाहिये, जो नहीं हो रहा है। इसके विपरीत राजनीति में नैतिकता एवं सदाचार का ग्राफ बहुत निचले स्तर पर आ गया है। केन्द्र में तानाशाही प्रवृत्ति उभर रही है। महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भर गांव व स्वावलम्बी किसान व मतदाता बेचारा बनकर रह गया, वह हर बार ठगा जाता है। सत्तर के दशक तक राजनैतिक दल विचारधाराओं से ओत–प्रोत थे, कार्यकर्ता थे। वे विचारवान एवं सिद्धान्तों के प्रति अडिग थे; परन्तु दुर्भाग्यवश वह नस्ल खत्म होती जा रही है तभी तो 6 राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों में दल बदलुओं की सरकारें हैं व देश में भ्रष्टाचार, अपराध, अनैतिकता, गरीब एवं बेबसी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है।

पर कैसी विडम्बना है विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में बुद्धीजीवी वर्ग भयभीत है, देश की नैतिक शक्तियाँ खामोश हैं। कुर्सी के लोभ में हमारा नैतिक पतन होता है तो सत्ता राजनीति का उपकरण मात्र बनकर रह जाती है, उसमें सेवाभाव लुप्त हो जाता है। अब परिवर्तन की भूमिका तो जनता की है। उसका निर्णय तो लोकतन्त्र में शिरोधार्य होता है। परन्तु स्वास्थ्यकर्मियों एवं सुरक्षाकर्मियों के सेवाभाव के आगे सारा देश नत–मस्तक है एवं उन पर गर्व करता है। यह देश की जनता व राजनैतिक क्षेत्र के लिये एक आदर्श सीख है।

संरक्षक व मार्गदर्शन : **श्रीमती मंजू जोशी**

संपादक : **भगवान सहाय दाधीच**

ग्राफिक्स : **रामचन्द्र शर्मा एवं भँवरलाल**

सामाजिक परिवर्तन के प्रणेता (प्रेरणा स्त्रोत) – परम पूज्य स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वती

– भगवान दाधीच

भारतवर्ष में समय–समय पर ऐसे महापुरूष अवतरित होते रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्र में आध्यात्मिकता, राष्ट्रीयता एवं सामाजिक समरसता का महान व्रत लेकर समाज में चेतना का संचार किया एवं समाज को नयी दिशा दी। वे समाज एवं राष्ट्र के प्रेरणा स्त्रोत बने। ऐसे ही महापुरूष है, परम पूज्य आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी विद्यानन्द सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने आदिवासी समाज के सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय उत्थान के लिये गुजरात प्रान्त के बलसाड़ जिले के धर्मपुर के बरूमाल गाँव को अपनी कर्मभूमि बनाया।

पूज्य स्वामी विद्यानन्द जी महाराज का जन्म राजस्थान के जयपुर जिले के छोटे से ग्राम चकवाड़ा में ब्राह्मण परिवार में हुआ, अल्पावस्था में ही प्रबल आध्यात्मिक प्रवृत्ति एवं ज्ञान प्राप्ति की पिपांसा के कारण 13 वर्ष से कम आयु में ही आपने गृह त्याग कर दिया एवं काशी में जाकर भारत के प्रकाण्ड विद्वानों एवं सन्तों के सानिध्य एवं मार्गदर्शन में रहकर, वेद–पुराण, शास्त्रों का गहन ज्ञान प्राप्त किया एव 22 वर्ष की उम्र में आपने सन्यास लिया, साथ ही उन्हें हरिद्वार महाकुम्भ में देश के सन्त महात्माओं के सान्निध्य में 1972 में आचार्य महामण्डलेश्वर की जिम्मेदारी प्रदान की गयी, व साथ ही आप कैलाश मठ से नासिक के पीठाधीश्वर बनाये गये।

सन् 1995 में, आप गुरूदेव परमपूज्य श्री स्वामी अखण्डानन्द जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से कैलाश मठ नासिक का त्याग कर स्वामी जी आदिवासी समाज को शोषण एवं अभावों से मुक्त कर आत्म– निर्भर बनाने एवं शिक्षा के द्वारा उनको आध्यात्मिकता की धारा से जोड़ने के दुर्गम पथ पर चल पड़े। स्वामी जी को ध्यान था कि बनवासी समाज स्वभावतः ही परिश्रमी, संयमी, अनुशासनप्रिय एवं स्वाभिमानी होता है, सही दिशा एवं उचित मार्गदर्शन के अभाव के कारण यह समाज घोर सामाजिक कुरूतियों, दारिद्रय, अज्ञान एवं पिछड़ेपन के गर्त में जा रहा है।

उनके उत्थान के लिये धार्मिक, सामाजिक एवं समता क्रान्ति के प्रवर्त्तक पूज्य स्वामी जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, आध्यात्मिक (धार्मिक) प्रकल्पों के साथ 1995 में बरूमाल क्षेत्र में मानसी गंगा नदी के तट पर श्री सद्गुरूधाम की स्थापना की।

श्री सद्गुरूधाम आने का सौभाग्य मिला। श्री सद्गुरूधाम में प्रवेश करते ही लगता है कि यहां पश्चिमी संस्कृति का प्रवाह ठहर सा गया है। पूरा क्षेत्र जैव विविधता से परिपूर्ण है। पूज्य स्वामी विद्यानन्द जी महाराज हर वर्ष इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में सतत् पैदल यात्रा कर आदिवासी समुदाय से सीधा संवाद कर उनकी पीड़ा, उनके दर्द व उनकी समस्याओं को करीब से जानने का प्रयास कर समाधान का मार्ग तलाशते है।

सन् 1995 के दौर में यहां का आदिवासी समाज देश–दुनियां की गतिविधियों से बेखबर, नशे में डूबा, आखेट व मजदूरी कर अपना जीवनयापन कर रहा था व अपनी सन्तानों का भी इन्हीं कार्यो में अपना भविष्य तलाश रहा था। शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार के प्रति समाज गम्भीर नहीं था, उस दौर में स्वामी जी ने पैदल यात्रा के दौरान गांव–गांव, ढ़ाणी–ढ़ाणी में आदिवासी समाज को नशामुक्ति के साथ सामाजिक कुरूतियों को उखाड़ फेंकने का आव्हान किया। बनवासी समाज को अपने गौरवशाली इतिहास व परम्पराओं का स्मरण करा उनमें नयी ऊर्जा का संचार किया, उनके बच्चों को संस्कार शिक्षा, स्वास्थ्य हेतु जागरूकता अभियान चलाया।

पूज्य महाराज श्री के ओज़स्वी वाणी के प्रवचनों ने आदिवासी समाज पर जादू सा कार्य किया। पूज्य महाराज श्री के प्रवचनों में आदिवासी समुदाय की ग्रामीण जनता उमड़ने लगी।

दो साल में ही शराब की भट्टियाँ टूटने लगी, क्षेत्र से मिशनरीज के पांव उखड़ने लगे। आदिवासी समुदाय राष्ट्र व समाज की मुख्यधारा

में शामिल होने का बेचैन हो उठा। धीरे–धीरे वे सत्संग में आने लगे, घरों में दीपक जलने के साथ हरिनाम स्मरण शुरू हो गया। वृक्षों, नदियों की पूजा व संरक्षण भाव बढ़ता गया व आज आदिवासी समुदाय के लिये श्री सद्गुरूधाम पावन तीर्थ, प्रेरणा स्त्रोत एवं श्रद्धा का केन्द्र बन गया। देखते–देखते यह बन्जर धरती नन्दन वन में बदल गयी। आज यहां अनेक अदभुत एवं अनुकरणीय प्रकल्प चल रहे हैं। वे देश के स्वयंसेवी संगठनों व धार्मिक संगठनों के लिये अनुकरणीय हैं।

1. **शिक्षा–** आदिवासी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिये आश्रम में ट्रस्ट के माध्यम से आश्रम शाला चलायी जाती है। शाला में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, कॉलेज शिक्षा के साथ बी. एड. कॉलेज एवं पी.टी.सी. कॉलेज भी है। पूरे संकुल में करीब 1500 बच्चे प्रतिवर्ष शिक्षा के साथ सनातन धर्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आदिवासी विद्यार्थियों द्वारा संस्कृत में लिखे गये स्तोत्र, स्तुतियां महिम्न स्त्रोत व आरतियों का सस्वर एवं मृदु वाणी में पाठ पूरे परिसर में गूंजते दिखाई दे सकते है, जो महाराज श्री द्वारा दिये गये उत्तम संस्कारों का सुन्दर दृष्टान्त है। यहां सभी विद्यार्थियों की शिक्षा, खाना, आवास व्यवस्था निःशुल्क प्रदान की जाती है। सैंकड़ों बच्चे यहां से अध्ययन कर राजकीय सेवा में कार्यरत है।

2. **स्वास्थ्य –** ट्रस्ट द्वारा आदिवासियों के स्वास्थ्य सम्बन्धित अनुकरणीय कार्य किये जा रहे हैं। आश्रम के 30 कि.मी. के दायरे में मोबाईल डिस्पेन्सरी वैन द्वारा आपातकालीन मेडिकल सुविधा निःशुल्क दी जाती है, जबकि असाध्य बीमारियों में आदिवासी व्यक्ति को बलसाड़ स्थित कस्तूरबा हॉस्पीटल में ईलाज सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है। इनके सम्पूर्ण ईलाज का खर्च भी ट्रस्ट द्वारा उठाया जाता है।

यज्ञ ऋषि परम्परा का अभिन्न अंग है, यह भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। पूज्य गुरूदेव की मान्यता है कि प्रकृति से हमें जो कुछ प्राप्त करते हैं, यह वापिस देने की भावनात्मक क्रिया यानि यज्ञ परमादर्श आचार्य स्वामी विद्यानन्द सरस्वती जी महाराज की निश्रा में प्रतिदिन श्री सद्गुरूधाम की यज्ञवेदी प्रज्वलित रहती है।

स्वामी जी वर्तमान युग में एकमात्र ऐसे ऋषि है जिन्होंने राष्ट्र कल्याण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु मुंबई, ग्वालियर, कोटा और मोटा पौंढ़ा ओम कच्छ (गुजरात) में श्री लक्ष चण्डी महायज्ञ एवं बरूमाल में एकादशाती रूद्रयाग महायज्ञ तथा गायत्री महायज्ञ का सफ़ल आयोजन किया है वह भी सामाजिक समरसता के भाव के साथ। श्री सद्गुरुधाम में सेवा एवं संस्कार के प्रेरणादायी प्रकल्प चल रहे हैं, जिनके पथ चिन्हों पर चलकर राष्ट्र वैभव के शिखर पर आरूढ़ होगा।

ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष आदिवासियों में निःशुल्क अनाज, कम्बल एवं कपड़ों का वितरण किया जाता है व साल में तीन आदिवासी परिवारों को आर.सी.सी. के पक्के मकान बनाकर दिये जाते हैं। पक्की सड़क एवं शौचालय निर्माण करवाये जाते हैं। आदिवासी समुदाय में शादी के वक्त वर–वधु को दिनचर्या के आवश्यक सामान उपलब्ध करवाया जाता है।

ट्रस्ट के माध्यम से देशभर के कला साहित्य सेवा आदि विभिन्न क्षेत्रों की 11 हस्तियों को उनके महत्वपूर्ण योगदान हेतु श्री भाव भावेश्वर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करके उनकी कला व सेवा को गौरव प्रदान किया जाता है। साथ ही स्वामी जी महाराज श्री द्वारा समाज को नशामुक्ति अभियान एवं माँसाहार मुक्त अभियान भी सतत चलाया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, सैंकड़ो आदिवासी नशामुक्त व शाकाहारयुक्त हो धार्मिक–सामाजिक चिन्तन में लगे हैं। आज उनके जीवनस्तर में अभूतपूर्व बदलाव आये हैं।

त्रयोदश ज्योतिलिंग भगवान भाव भावेश्वर महोदय – पूज्य स्वामी जी को पीड़ा थी कि आदिवासी, समुदाय अपने धार्मिक स्थलों को भूल सा रहा है व आर्थिक परिस्थितियों के कारण अपने श्रद्धा केन्द्रों (देवी–देवताओं तीर्थ स्थल) पर जाने को असमर्थ है, सो उन्होंने आश्रम में विशाल भव्य मन्दिर निर्माण करवाया। श्री सद्गुरूधाम के गर्भगृह में भगवान श्री भाव –भावेश्वर भगवती देवी पीताम्बरा के साथ समस्त देवी–देवता संग विराजमान है। यह दर्शन ऐसा अनुभव करवाता है कि मानो देवाधिदेव महादेव भगवान भाव भावेश्वर भगवती पीताम्बरा के साथ दरबार लगाकर बैठे हो।

एकादश रूद्रमुख कृत देश का प्रथम अष्ट धातु से बना यह शिवलिंग का वज़न टन है, जबकि ऊँचाई 5 फीट है, मन्दिर के पीछे कैलाश पर्वत पर बारह ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गयी है, जो अपने मूल स्वरूप का साक्षात् स्वरूप है। पर्वत की गुफा में मां वैष्णोदेवी और भगवती दुर्गा के विविध स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं, मन्दिर में स्थापित विविध देवी–देवताओं की मूर्तियाँ भी अपने मूल स्वरूप का साक्षात् स्वरूप है, जिसमें रिद्धी–सिद्धी संग गजानन्द गणपति महाराज, भगवान श्रीराम और देवी सीता, भगवान द्वारिकाधीश, भगवान राधा कृष्ण, भगवान लक्ष्मीनारायण, माँ काली, नवग्रह महाराज और सूर्यनारायण भगवान, भगवान बद्रीनाथ और भगवान जगन्नाथ, भगवान दत्तात्रेय और जगद्गुरू आदि शंकराचार्य और ब्रह्मलीन श्री सद्‌गुरूदेव स्वामी श्री अखण्डानन्द जी सरस्वती जी महाराज प्रमुख है।

आज श्री सद्‌गुरूधाम सभी धामों का एक धाम के रूप में अनुपम एवं पावन तीर्थस्थल रूप में पूरे देश में प्रतिष्ठित है, जहां पूरे वर्ष आदिवासी श्रद्धालुओं के अलावा पूरे देश के प्रमुख सम्मानित सन्त महात्माओं का प्रवास व कथा–प्रवचन–सत्संग होता रहता है, जिसमें आदिवासी समुदाय सद्गुरूधाम में पूजा व यज्ञ में शामिल हो अनन्य भक्ति को प्राप्त करते हैं। श्री सद्गुरूधाम में महाशिवरात्रि, श्रवण पर्व, गुरू पूर्णिमा, बसन्त पंचमी, श्री सद्गुरूदेव का आनन्द जयन्ति उत्सव व सन्यास जयन्ति प्रमुख उत्सव है जो सन्त–महात्मा भक्तज़न एवं आदिवासी समाज की पूर्ण सहभागिता के साथ मनाये जाते हैं।

सद्गुरू धाम में आने वाले दर्शनार्थियों को रहने व भोजन की सुविधा हेतु सुविधा सम्पन्न अतिथि निवास एवं सन्त निवास का निर्माण किया गया है। जहाँ हर रोज 1200 से 1500 श्रद्धालू ठहरते हैं एवं प्रसादी ग्रहण करते हैं। इस अनुपम आश्रम में देश–विदेश के महान सन्तों, देश के पक्ष– विपक्ष के राजनेताओं का प्रवास होता रहा है। श्री सद्‌गुरूधाम में कृष्ण गोपाल गोशाला संचालित है, गौशाला में गोबर, मूत्र की औषधियां बनायी जाती है।

यहां स्वयं सेवी संगठनों व जनसंगठनों के प्रतिनिधि प्रवास करते हैं उन्हें लगता है, जैसे उन्हें ध्येय मार्ग मिल गया। कैसा अविस्मरणीय कार्य कर दिखाया पूज्य स्वामी जी ने अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित आदिवासी समुदाय में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा भाव, पर्यावरणीय एवं अध्यात्मिक कार्यों द्वारा चेतना का नव संचार किया, व उनकी खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका सुनिश्चित कर राष्ट्र व समाज की मुख्यधारा में शामिल किया। समाज व राष्ट्र को सामाजिक समरसता का अनुपम सन्देश दिया। काश सरकारें भी इनसे प्रेरणा व सीख ले पायें।

किसानों की राष्ट्रीय संगोष्ठी

भारत सरकार द्वारा जुलाई, 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ में सतत् विकास लक्ष्यों का प्रगति विवरण प्रस्तुत किया जाना है। इससे पूर्व नीति आयोग की पहल पर देश के विभिन्न प्रान्तों में सतत् विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों का आयोजन किया गया ताकि समाज के अन्तिम व्यक्ति को चिन्ताओं व मुद्दों को भारत सरकार की रिपोर्ट में समाविष्ट किया जा सके।

इसी सन्दर्भ में किसानों व खेती से जुड़े विभिन्न विषयों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी की जिम्मेदारी सिकोईडिकोन संस्था को दी गयी। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन संस्था के स्वराज परिसर में 24 जनवरी, 2020 को किया गया, जिसमें देश के 13 राज्यों के किसान संगठनों, जन संगठनों व कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस संगोष्ठी में संयुक्त राष्ट्र संघ की भारत में क्षेत्रीय समन्वयक सुश्री रेनाटा व नीति आयोग से श्री सोम्या गुहा ने भाग लिया।

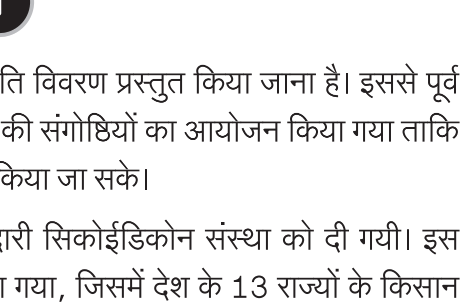

इसमें भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामन्त्री श्री बद्री नारायण चौधरी, किसान महा पंचायत के राष्ट्रीय संयोजक श्री रामपाल जाट, भारतीय किसान यूनियन से युद्धवीर सिंह, शेतकारी संगठन (महाराष्ट्र) के प्रतिनिधि ने भी संगोष्ठी में अपने विचार रखे। किसान संगोष्टी में छ: समानान्तर सत्रों में महिला किसान, वर्षा आधारित खेती, पशुपालकों, भूमिहीन किसानों, बंटाई पर खेती करने वाले किसानों व आदिवासी किसानों की चिन्ताओं व सिफारिशों पर विचार किया गया।

कहाँ खो गये हैं तालाब

आजादी के समय भी राजस्थान में ग्राम, कस्बों व शहरों में तालाबों की भरमार थी। तालाब एवं समाज का जीवन्त रिश्ता था। हर तालाब का अपना महत्व था व पहचान थी, परन्तु आज तालाबों से समाज का रिश्ता टूट रहा है।

युवाओं की अरूचि, सरकारों की गलत नीतियों एवं बुजुर्गों की लापरवाही के चलते गांवों ने तालाबों, बांधों एवं कुंओ की वह दौलत खो दी है, जिस पर न जाने कितनी पीढ़ियों ने जीवन- बसर किया है। हमारे पूर्वजों ने एक से एक बेशकीमती एवं बहु उपयोगी तालाबों का निर्माण करवाया था, उन्होंने सनातन, वैदिक एवं पोराणिक परम्पराओं को तालाब के साथ जोड़ इनकी पवित्रता बनाये रखी तो सभ्यता एवं संस्कृति के वाहक भी रहे यह तालाब।

गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है संगम करहिं तालाब-तलाई। भावार्थ- तालाब-जोहड़ समाज को जोड़ते हैं, जब ये टूटते हैं, तो समाज टूटता हैं, जब ये सूखते हैं तो समाज सूखता है! विभिन्न धार्मिक क्रियायें तालाब जल की पूजा अर्चना कर उसे साक्षी मानकर की जाती रही है। तालाब के प्रति श्रद्धा का भाव रहा है। परन्तु भौतिक विकास की दौड़ में हम परम्पराओं व मूल्यों का दम तोड़ रहे हैं।

यह तालाबों की ही ताकत है कि गांव, बस्तियां भी तालाब व नदी के किनारे ही बसती रही थी। इनके किनारे पेड-पौधों की भरमार रही व जैव विविधता समृद्ध रही। अपने-अपने इलाकों की भौतिक समृद्धि में तालाबों, बांधों के योगदान के प्रति कृतज्ञ व नतमस्तक है। तालाबों का पूरा समाज शास्त्र व अर्थशास्त्र था। गाँव के तालाबों का पानी गन्दा न हो, अवैध अतिक्रमण न हो यह समाज की सामाजिक जिम्मेदारी होती थी, ऐसा करना पाप समझते थे। पर कैसी विडम्बना है कि हम अंग्रेजों द्वारा सम्भलायी गयी तालाबी विरासत को नहीं बचा पा रहे।

आज तालाब, बांध संस्कृति खत्म होती जा रही है, अनेक ऐसे गांव है जहां जलाशय अपने दिन गिन रहे हैं, उनका जीवन खतरनाक रासायनिकों, पॉलिथिनों, सैनेट्री कचरे से सडांध मार रहे हैं। इन पर अवैध अतिक्रमणों की बाढ़ सी आयी है, तालाबों को मिट्‌टी से पाटकर मकान एवं बाड़े बनाना आम बात हो गयी है। दबंग लोग तालाबों की भूमि को अपनी जागीर समझने लगे है। ये दबंग पंचायत प्रमुखों एवं सरकारी एजेन्सी को साथ लेकर यह खेल खेलते हैं। तालाबों के घाट, खण्डहर चार दीवारी पूर्णत: दबंगों के अवैध कब्जे में है।

अनेक तालाबों में मवेशियों के पानी पीने के रास्ते अवरूद्ध कर दिये गये हैं तो पानी की आवक को भी निर्ममता से अवैध कब्जों के भेंट चढ़ रही है, जिससे ये तालाब अपना मूल स्वरूप खोते जा रहे हैं। पर्यावरणविदों की बार-बार चेतावनी दिये जाने के बावजूद यदि तालाबों की सार-सम्भाल नहीं की व अवैध कब्जों का सिलसिला चलता रहा तो इससे न केवल पर्यावरण सन्तुलन बिगड़ जायेगा बल्कि गाँव व समाज का ढ़ांचा भी चरमरा जायेगा। लेकिन बार-बार चेतावनियों के बावजूद न तो केन्द्र व राज्य सरकार इस गम्भीर विषय को लेकर चिन्तित है न ही समाज चिन्तित है, जिसका तालाब, नदी, कुओं के साथ जन्म-मरण का रिश्ता है।

रोज वरूण देवता की पूजा करने वाले व शिव का जलाभिषेक करने वाले अधिकांश महात्माओं, कथा वाचकों व पण्डितों के एजेन्डे में भी तालाब प्राथमिकता में नहीं है। सरकारें तो मात्र पंगू बन तालाबों की होती दुर्दशा की तमाशा देख रही है, वह तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करने में असहाय नज़र आ रही है। सरकार में तालाबी अवैध अतिक्रमण पर किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी की

जवाबदेही भी स्पष्ट नहीं है। अनियोजित विकास प्रक्रिया एवं सरकार की गैर जिम्मेदाराना व लापरवाही से ये तालाब अतिक्रमण कर्ताओं के आसानी से शिकार बन रहे हैं व धरती की कोख ख़ोखली हो रही है।

आजादी के पूर्व से ग्रामों व खेतो में पानी निकासी हेतु धोरों की भू आवंटित थी। धोरों का पानी नहर में, नहर का पानी तालाबों में ऐसा सिस्टम था पर आज धोरे, नहरों का पाट तालाब ही अस्तित्व खोते जा रहे हैं। इस विषम परिस्थिति में, तालाबों, बांधों के सरंक्षण के लिये समाज को स्वयं एक ठोस एवं गम्भीर पहल करनी होगी, नहीं तो पानी की समृद्ध विरासत लुप्त हो जायेगी।

जिस तालाब जल को ऋषियों ने आपो ज्योति रसो अमृतम यानि ज्योति रस एवं अमृत कहा था। उसे भावी पीढ़ी को किस रूप में सौंप रहे हैं, चिन्तन करना जरूरी है।

विश्व स्तर पर विकसित देशो में तालाब, नदी एवं अन्य जल स्त्रोतो के संरक्षण हेतु पर्याप्त नियम है। वहां का समाज और सरकार उसका कठोरता से पालन करते हैं, इसी का परिणाम है स्वच्छता एवं संरक्षण का साथ पाकर वहीं के जल स्त्रोत स्वस्थ एवं सुन्दर है। किन्तु विकासशील, अर्द्ध विकसित एवं पिछड़े देशों में नियम एवं क्रियान्वयन दोनों स्तर पर कमजोर तन्त्र है।

अब हमारे यहां आवश्यकता है कि समाज में जल अनुशासन खड़ा करने के भागीरथ प्रयास हो, जो केवल विज्ञापनों एवं भाषणों तक सीमित न रहकर व्यवहार एवं निर्णय में दिखाई दे, जिससे भावी पीढ़ी उसका पालन बचपन से ही कर सके। जलाशयों, नदी, छोटे–बड़े जलस्त्रोतों के सरंक्षण हेतु उपयुक्त कानून बने। उसका पालन करवाने वाली इकाईयों की जवाबदारियां सुनिश्चित हो। ऐसा कर पूर्वजों से मिली धरोहर तालाबों का रक्षण एवं पोषण कर सहज़ता से भावी पीढ़ी को सौंप सकें।

कैसी विडम्बना है विश्व की आधुनिक सभ्यता में सरोवरों, नदियों, वनों–गोचर, पर्वतों के प्रति ऐसा पूज्य भाव कहीं नहीं, जितना भारत में है, परन्तु आज विश्व में जलाशयों, नदियों, वनों–गोचर, पर्वतों की इतनी दुर्दशा/ उपेक्षा दिखाई नहीं देती, जितनी भारत में दिखाई दे रही है।

बीज बचाना जन्म सिद्ध अधिकार

– **वन्दना शिवा,** प्रख्यात पर्यावरणविद्

बीज बचाना आज के स्वराज की मांग है, बीज बचाकर भूख व कुपोषण पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है। बीजों की जैव विविधता के संरक्षण एवं विकास के बिना हम जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलता नहीं ला सकते। बीजों की स्वतन्त्रता भारत के गरीब किसानों साथ सम्पूर्ण मानव प्रजाति के लिये अति आवश्यक है। बीज बचाना हमारा नैतिक कर्त्तव्य और नैसर्गिक आवश्यकता है।

हम हजारों वर्षों से वसुधैव कुटुम्बकम (धरती एक परिवार) के दर्शन के साथ जीने वाले लोग है। जीवन पर पेटेन्ट का सीधा मतलब वसुधैव कुटुम्बकम के प्रति अपने कर्त्तव्यों का उल्लंघन करना है। जीवनरूपी पौधे और बीज नैसर्गिक रूप से विकसित स्वयं संगठित एवं स्वाधीन प्राणी है, बीज हमें प्रकृति से व किसानों के द्वारा मिले है। इसलिये इन पर कॉर्पोरेट जगत के द्वारा आविष्कार का दावा करना अनीतिपूर्ण और गैर कानूनी है। बीज पर पेटेन्ट नैतिक रूप से इसलिये भी गलत हैं, क्योंकि बीज हमारे जीवन का आधार है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियां बीजों को न सिर्फ अपनी सम्पत्ति घोषित करने की कोशिश कर रही है, बल्कि उन्हें अपना आविष्कार मानती है। हमारा मानना है कि बीज (जीवन) कॉर्पोरेट का आविष्कार नहीं बल्कि एक ऐसा मिथक है, जिसका सामूहिक रूप से विरोध किया जाना चाहिये, जो जीवन पर पेटेन्ट की अनुमति न दें। बीज न तो किसी कम्पनी की खोज है न ही पैतृक सम्पत्ती है। हमारे पूर्वजों ने जिन बीजों का चयन किया एवं विविधता बढ़ाई, आज वहीं फसलें दुनियां का भरण–पोषण कर रही है।

हम पारम्परिक बीजों की कीमत पर जी.एम.ओ. स्वीकार नहीं करेंगे। दो दशक पहले बहुराष्ट्रीय रासायनिक कम्पनियों के हाथों में जैव प्रौद्योगिकी और जीन अभियान्त्रिकी रूपी हथियार आया, जिससे वे बीज और जीवन पर पेटेन्ट का दावा कर सके। मोन्सेन्टों को भ्रम है कि वह जीवन निर्माता है, जिसके चलते उसने हजारों किसानों को लूटा है। बीजों की स्वतन्त्रता एवं विविधता विकास में उनकी

निरन्तरता के लिये मैंने 1987 में नवधान्य के माध्यम से बीज स्वतन्त्रता आन्दोलन शुरू किया। इस आन्दोलन का ध्येय था कि किसान विविध प्रकार के बीज बचाने, बीजों के उपयोग में लाने तथा बीजों को साझा करने के लिये स्वतन्त्र है। इसलिये बीज को सार्वजनिक रूप से संरक्षित किया जा सके और उन पर बौद्धिक सम्पदा अधिकार के माध्यम से निजीकरण न हो। फिर हमने भारत सरकार एवं सांसदों से मिलकर सुनिश्चित किया कि हमारे कानून पूरी तरह से वैज्ञानिक सिद्धान्त पर सामाजिक न्याय पर पारिस्थितिक स्थिरता पर आधारित हो। जबसे मोन्सेन्टो ने ट्रिप्स मसौदा तैयार किया जब से भारत जैसे देशों ने सुनिश्चित किया कि वनस्पति, जानवर तथा जैविक प्रक्रियाओं को पेटैन्टीकरण से दूर रखा जाये।

भारत में पादप प्रजाति अधिनियम एवं किसान अधिकार अधिनियम भी है। 2001 में बने इस अधिनियम में किसानों के अधिकारों की मान्यता सुनिश्चित की है। किसान अधिकार अधिनियम के अनुसार, एक किसान को अपने बीज एवं उत्पाद को बचाने, उपयोग में लाने, बुवाई करने, दोबारा बोने, आदान–प्रदान करने, साझा करने अथवा बेचने का हकदार माना जायेगा।

दुनियाभर छोटे किसान व बागवान भाई–बहिन अपने पारम्परिक ज्ञान के माध्यम से मिट्टी और बीजों का संरक्षण कर रहे है। ऐसे किसान शुद्ध, स्वस्थ एवं पोषणयुक्त भोजन पैदाकर जहां अपने समुदाय को भोजन प्रदान कर रहे हैं, वहीं पेट्रो–केमिकल्स को चुनौती देकर इस पृथ्वी को बचाने में अपना योगदान दे रहे है। हम बीज सम्प्रभुता के लिये सामुदायिक बीज बैंकों की स्थापना के माध्यम से स्थानीय बीच प्रजातियों को कई गुणा करके स्वदेशी बीज एवं पौधों को बचा सकते हैं।

बदलती जलवायु – खेती पर प्रभाव

दुनिया भर में मौसम में उथल–पुथल, कहीं सुनामी तो कहीं सूखा, तो कहीं बर्फबारी, पहले ये आपदाएं वर्षों में एक बार आती थी, इसलिए किसान सम्भल जाता था। आज ऐसी आपदाएं प्रतिवर्ष आ रही है, ऐसे में इनसे निपटने का उपाय ढूँढना जरूरी होता जा रहा है, नहीं तो खेती करने वालों की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। हमारे देश का सम्पूर्ण क्षेत्रफल करीब 32.44 करोड़ हेक्टेयर है, इसमें से 14.26 करोड़ हेक्टेयर में खेती की जाती है। करीब 65% लोग रोजगार हेतु कृषि पर निर्भर है, इसलिये मौसम में किसी प्रकार का परिवर्तन व गिरावट 80% जनसंख्या को प्रभावित कर सकता है।

कृषि की उत्पादकता पूरी तरह से मौसम जलवायु व पानी की उपलब्धता पर निर्भर होती है। इसमें से किसी भी कारक को बदलने अथवा स्वरूप में परिवर्तन से कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। कृषि का प्रकृति से भी सीधा सम्बन्ध है, जल, जमीन, जंगल प्रकृति का आधार है, यही आधार कृषि का है। बाढ़, सूखा, भूस्खलन जैसी घटनाओं ने किसानों को भुखमरी के कगार पर खड़ा किया है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि उत्पादन पर भी पड़ रहा है।

जलवायु के बदलाव के बारे में प्रतिदिन नये–नये आंकड़े व नये विश्लेषणों से इसके निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अब विश्व स्तर पर ऐसे बदलाव हो रहे हैं कि जिनके कारण पानी की उपलब्धता और भी विकट होने वाली है।

1. वो इसके समाधान स्वरूप पानी की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जाने देना है, जल संरक्षण को एक रचनात्मक जन आन्दोलन का रूप देकर समुदाय को जोड़ना व वाटर हार्वेस्टिंग व पानी संग्रह का व्यवहारिक प्रयास होने चाहिये।

   पिछले कुछ वर्षों से जल संरक्षण, नमी संरक्षण व भू–जल दोहन पर अनेक योजनाएं लागू की गयी है, उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं।

2. भारत में 80% छोटे सीमान्त किसान है, इनके लिये स्वयं सहायता समूह आधारित कृषि जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न फसलों की घटती उत्पादकता एवं खाद्यान्न संकट से बचने का एक अच्छा उपाय है। साथ ही सिंचाई परियोजनाओं को

व्यवहारिक बना, उन पर अधिक राशि खर्च करनी होगी, जिससे अधिकांश खेत सीधे सिंचाई से जुड़े।

3. खाद्य सुरक्षा हेतु अनाज भण्डारण व बीज भण्डारण के आधुनिक तरीकों व संरचनाओं का इस्तेमाल करें।

4. नये शोधों के द्वारा ऐसे नये बीजों व फसलों का विकास किया जाना चाहिये जो सूखे व अधिक तापमान को सह सके तथा पानी व उर्वरकों की आवश्यकता भी कम हो व बंजर भूमि विकसित कर खेती योग्य बनाई जाये। कृषि विशेषज्ञ एवं ग्रामीण विकास मन्त्रालय की संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि देश में खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य हासिल करना है तो सूखाग्रस्त व बंजर भूमि को विकसित करने का काम तेजी से करना होगा।

5. रासायनिक खादों के प्रयोगों से व तापमान बढ़ने से मिट्टी पहले ही जैविक कार्बन रहित हो रही है व मिट्टी की लवणता व जैव विविधता घटती जा रही है। जैविक कृषि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर सकती है, जैविक कृषि मिट्टी के कार्बन को अवशोषित कर सकते हैं। जैविक सतत् खेती में धरती के पोषक तत्वों की पूर्ति मिट्टी से ही हो जाती है। जैविक खादों व दलहनी फसलों साथ में वृक्षों के संयोजन में मिट्टी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। जैविक कृषि प्रोत्साहन बीज विपणन पर प्रभावी व्यवस्था कर विशेष कृषि जोन जैविक कृषि स्थापित की दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिये।

विकास के नाम पर भारत की ग्राम एवं कृषि आधारित व्यवस्था (रचना) को तबाह कर शहरीकरण एवं औद्योगीकरण की ऐसी अन्धी सुरंग में देष को धकेल दिया गया कि देश के कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग भी दम तोड़ते गये। मौसम चक्र बदल गया, मेघालय स्थित चेरापूंजी अपनी भारी बारिश की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज था लेकिन अब से इलाका जलवायु परिवर्तन की चपेट में है व भारी बारिश व गरजते बादल ही सदियों से चेरापूंजी की सबसे बडी धरोहर रहे हैं, ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड बनाने वाला चेरापूंजी आज स्वयं अपनी प्यास बुझाने में नाकाम है। बड़े पैमानों पर पेड़ों के काटे जाने के कारण बारिश साल दर साल कम होती जा रही है।

प्रकृति से खिलवाड़ किस तरह भयंकर त्रासदी के रूप में सामने आ सकता है, विकास की एक सीमा है, तय करें कि एक सीमा के बाहर जाकर हम प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचायेंगे। आवश्यकतानुसार ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। अपनी सुविधाओं व उपभोग की वस्तुओं को सीमित करेंगे व जीवनशैली बदलकर। वरना जिस प्रकृति ने हमें पैदा किया, उसी ने कोरोना वायरस पैदा किया है। पूरी धरती पर हाहाकार मचा है व मानव व प्रकृति जंग जारी है। वक्त है पर्यावरण व विकास के बीच सन्तुलन पर बहस हो, पर सतत् प्रयास चलता रहे। विकास की लक्ष्मण रेखा खिंच चुकी है।

क्या है ग्रीन हाऊस गैसे – सार्थक प्रयास

हमारा वातावरण अनेक प्रकार की गैंसो से मिलकर बना है। इसमें एक प्रतिशत अन्य गैसों में ग्रीन हाऊस गैसें शामिल है, जिनमें कार्बनडाई आक्साइड, मीथेन, नाइट्रस आक्साइड लोरो कार्बन आदि है। यह ग्रीन हाऊस गैंसे पृथ्वी के लिये कवच के समान कार्य करती है। हमारी धरती के ऊपर ग्रीन हाऊस गैंसे एक परत के रूप में होती है, जो धरती को गर्म रखती है और सूर्य की ऊर्जा को रोककर वापिस धरती पर भेजती है, जिससे गर्मी बनी रहती है। ये गैंसे धरती की प्राकृतिक तापमान नियन्त्रक हैं, अगर ये न होती तो हमारी धरती का तापमान जितना आज है उससे 40 डिग्री सेंटिग्रेड से भी ज्यादा ठण्डा रहता।

आज अनेक अमानवीय गतिविधियों के कारण इन ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन बहुत बढ़ गया है, जिससे वातावरण में मौजूद इसकी तह मोटी होती जा रही है। प्राकृतिक ग्रीन हाऊस प्रभाव नष्ट हो रहा है, धरती पर गर्मी बढ़ रही है तथा जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। ग्रीन हाऊस गैंसो के लिये मानव जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा उत्सर्जित हो रही कार्बन–डाई–आक्साइड के मुख्य स्त्रोत है।

1. जंगलों का कटना
2. कृषि अवशेषों को जलाना
3. जमीन के उपयोग में बदलाव
4. बढ़ता शहरीकरण
5. उद्योगों से निकलता धुँआ
6. जीवाश्म ईंधन के जलने से – जैसे कोयला, डीजल जलने से।

मिथेन का उत्सर्जन घरेलू जानवरों, जैसे गाय, बकरी, सूअर, ऊँट, भैंस, भेड़ द्वारा होता है। ये जानवर अपने चबाने की प्रक्रिया में मीथेन पैदा करते हैं। धान के खेतों में भरे पानी से तथा कूड़ा–करकट के एकत्रिकरण से भी मिथेन गैसे निकलती है।

- खेतों में नाईट्रोजन की अत्यधिक मात्रा और रासायनिक खाद के प्रयोग में अनियमितताओं की वजह से इन गैंसों का उत्सर्जन बढ़ गया है।
- पशु शाला के रख–रखाव व गोबर आदि के कुप्रबन्धन से भी नाईट्रस ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। साथ ही मनुष्य के मलमूत्र विसर्जन हेतु बनाये सीवेज से भी इसका उत्सर्जन होता है।
- एयर कन्डीशनर एवं रेफ्रिज़रेटर आदि के इस्तेमाल से लोरो कार्बन का उत्सर्जन तेजी से बढ़ रहा है।

आई.पी.सी.सी. की रिपोर्ट में भी आशंका जाहिर की है कि ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन से सदी के अन्त तक पृथ्वी की जलवायु का तापमान 2–4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इससे होने वाले बदलाव खाद्य व जल सुरक्षा को सर्वाधिक प्रभावित करेंगे। ऐसा माना जा रहा है दक्षिण पूर्व एशियाई देश, अफ्रीका और लातिन अमेरिका जहां अधिकतम जनसंख्या कृषि पर आश्रित है सर्वाधिक प्रभावित होंगे। समुद्री जल स्तर बढ़ने से द्वीप देशों की स्थिति ओर गम्भीर हो, जल मग्न हो सकते हैं।

समुद्र तटीय इलाकों व देशों में मानव वानिकी व जैव विविधता को भारी नुकसान होगा। एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन में चेतावनी दी गयी है कि वैश्विक तपन के कारण वर्ष 2050 तक पृथ्वी पर पाये जाने वाले पशुओं पौधो में से (लुप्त होने के कगार पर जा सकते हैं। धरती के वायुमण्डल बढ़ने से अनेक कीटाणु अधिक सक्रिय एवं प्रभावी हो चले हैं वे गर्म वातावरण में तेजी से पनप रहे हैं। ये बढ़ती असाध्य बीमारियां वैश्विक तपन के ही नतीजे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नीति–निर्माताओं से अपेक्षा है।

1. कम कार्बन खपत पर आधारित विकास की रूपरेखा वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों पर शोध एवं निवेश की अत्यन्त आवश्यकता है, भारत में सौर व जल ऊर्जा की असीमित सम्भावनाओं के प्रकाश में इन पर त्वरित प्रगति होनी चाहिये। उपलब्ध ऊर्जा की आर्थिक व पर्यावरणीय न्याय की दृष्टि से खपत होनी चाहिये और ऐसे समुदायों को, जिन तक ऊर्जा की पहुँच नहीं है, बडे उद्योगों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
2. जलवायु परिवर्तन पर उद्देश्य माध्यम व संसाधनों के बारे में अतिशीघ्र स्पष्टता लानी चाहिये। राज्य सरकारों को भी इस बहस नीति–निर्माण व प्रयासों का भागीदार बनाना चाहिये।
3. जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक पीड़ित गरीब है। छोटे व सीमान्त किसान, खेतीहर मज़दूर, मछुआरे, दलित व अनुसूचित जनजाति व इन सभी वर्गों की महिलाएं सर्वाधिक पीड़ित हैं। अनुकूलन की रणनीति में इनके हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
4. भारत में समेकित विकास बहुत हद पर कृषि पर निर्भर है अतः कृषि अनुकूलन को प्राथमिकता देना अत्यन्त आवश्यक है। खेती सफल होने से कृषक व जनसंख्या के बड़े भाग की अनुकूलन की क्षमता स्वतः सुनिश्चित होगी।

समाज सुधारक – पूज्य जोशी जी

– अर्जुन देव बैरवा

सन् 2004 में सिकोईडिकोन संस्था में बतौर कार्यकर्ता निवाई शाखा में कार्य शुरू किया, संस्थाओं के प्रति मेरी कोई समझ नहीं थी व रोजगार का भी पहला अवसर था। निवाई शाखा में सभी जाति–वर्ग के कार्यकर्ता कार्यरत थे परन्तु सभी स्टॉफ एक साथ, खाना–पीना, सोना (आत्मीय भाव से) देखकर लगने लगा कि छूआछूत, भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीति को कोसों दूर छोड़ आये है।

सिकोईडिकोन संस्था द्वारा प्रेरित किसान सेवा समिति में 50% अनुसूचित जाति/जन जाति व महिलाओं की सक्रिय भागीदारी एवं उनका आपस में समन्वय के साथ कार्य करने से भी मैं बेहद प्रभावित हुआ। इसी दौरान 2006 में माननीय शरद जी जोशी संस्था के सचिव महोदय S.C. के ग्राम श्री सूरतपुरा में चौपाल हेतु पधारे। ग्राम के 29 परिवार B.P.L. थे व कच्चे मकान थे।

श्रीमान शरद जी जोशी ग्राम में आते ही वहां रखी खाट पर सहज़ता से बैठ गये व गाँव वालों से पीने का पानी माँगा, गांव वाले सोच में डूब गये, हम S.C. के है, हम साहब को कैसे पिलाये, साहब उनकी भावना समझ गये। साहब ने फिर से पानी मांगा व जी भर पानी पिया। गांव वाले गद्‌गद् हो गये। इतना बड़ा आदमी हमारे मटके का पानी पी रहा है। इस घटना को मैं भूल नहीं सकता। साहब की कथनी–करनी में कोई अन्तर नहीं था। मैं अपने को भाग्यशाली समझ रहा था कि इतने बड़े महापुरूष के सानिध्य व मार्गदर्शन में कार्य करने का अवसर मिला।

फिर तो सुनारा, श्री सूरतपुरा (निवाई) भीपुर, धोली (मालपुरा) गांवों में भी साहब के साथ जाने का भी सौभाग्य मिला (चौपाल हेतु) पर वे सामाजिक समरसता के नायक S.C. के लोगों के बीच में बैठते सुख– दुःख हाल पूछते, पानी, चाय–नाश्ता उन्हीं के घर का लेकर छूआछूत व भेदभाव मिटाने का समाज को संदेश देते रहे।

साहब को जब पता चला कि मैं धार्मिक कार्यों में भी सक्रिय रहता हूँ वो मेरे लिये कभी न भूलने वाला पल आया जब साहब ने कहा शीतला में जो रामायण पाठ हो रहा है, आपको भी पाठ करना है मैं आश्चर्य चकित रह गया। विद्वान पण्डितों के साथ पूजा पाठ करना मैं सपने में भी नही सोच सकता था। परन्तु साहब के मन में ममता का भाव था, सभी के साथ मैंने भी रामायण पाठ किया, आरती की। फिर तो जब भी संस्था में पूजा पाठ, भगवान शंकर का अभिषेक होता, साहब मुझे आगे रखते। सभी समाज के हजारों लोगों के बीच पूजा–पाठ, हवन करवाने से मेरी नयी पहचान बनी, लोग मुझे पण्डितजी के नाम से सम्बोधित करने लगे।

आज वह क्षण कभी नहीं भूल सकता जब जन कारवां नेपाल में आतंकवादी हमला हुआ। हमारी बसें जला दी गयी, हमारा जीवन खतरे में था। फिर एक फरिश्ते के प्रयासों से हमें छोड़ दिया गया। साहब को पता चला, तो जब तक हम नेपाली सुरक्षा बलों की सुरक्षा में काठमांडू पहुंचते, साहब पहले से ही वहां मौजूद थे, साहब ने हम जैसे लोगों को गले लगाया व रूंधे गले से कहा – आप लोगों को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। वह शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं। सिकोईडिकोन हमारे लिये श्रद्धा का केन्द्र है।

स्वतंत्रता के बाद भी सामाजिक असमानता व दलितों व महिलाओं पर बढते उत्पीडन

– पी.एल. मीमरौठ, एडवोकेट

हमारा देश धर्म बाहुल्य और जाति बाहुल्य है। पुरातन काल में समाज विभिन्न जातियों और समूहों में बँटा हुआ था। इससे पहले समाज में धर्म का प्रादुर्भाव शायद पहले जाति के नाम पर भेदभाव और उत्पीडन बढ़ा, उस समय समाज चार वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ग बनाये गये, जिसमें शूद्रों (दलितों) को सबसे निचले पायदान में रखकर उसे केवल तीन वर्णों की सेवा करने का कार्य सौंपा गया। उन्हें मानवाधिकारों से भी वंचित कर दिया गया। इस वर्ण व्यवस्था में शूद्रों (दलितों) को शिक्षा का अधिकार नहीं था, न ही वे सम्पत्ति अर्जित कर सकते थे। उनको मलीन व अवांछनीय कार्य करने के लिए विवश किया जाता था तथा उनको गांव से बाहर रहना पड़ता था। चूंकि शूद्र (दलित) मलीन कार्य में लिप्त होते थे और गंदे बातावरण में रहते थे इस कारण से उनके साथ अस्पर्श्यता, भेदभाव का व्यवहार कर मानव अधिकारों से वंचित किया जाता था। भारतीय समाज में छुआछूत को बनाये रखने के लिए अनेक रीति–रिवाज व सामाजिक प्रथाओं व परम्पराओं का निर्माण किया गया जो कि कालान्तर में हमारी सस्कृति का अंग बन गये। शूद्रों ने भी इस सामाजिक विभेद, कुप्रथाओं व परम्पराओं के कारण उन पर होने वाले भेदभाव व उत्पीडन को अंगीकार कर लिया। वैसे तो जाति व्यवस्था के आधार पर जाति विभेद और अस्पर्श्यता हिन्दु धर्म के अलावा देश के अन्य प्रमुख धर्मों में भी मौजूद है जैसे मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिक्ख धर्म आदि। मुस्लिम धर्म में हिन्दुओं की तरह ऊंची नीची जाति हैं तथा छुआछूत व्याप्त है। इसी तरह ईसाई धर्म में भी उच्च वर्गीय व दलित समुदाय के ईसाई हैं जिसके पूजा गृह या श्मशान स्थल अलग हैं जबकि दोनों धर्म इस बात का दावा करते हैं कि उनके धर्मों में जातिगत छुआछूत नहीं है परन्तु आप धरातल पर देखें तो इन धर्मों में भी हिन्दु धर्म की तरह अपनाई जाने वाला भेदभाव व छुआछूत का पूरा–पूरा बोलबाला है।

सिक्ख धर्म में भी पंजाब में ऊंची जाति के गुरूद्वारे भव्य और सारी सुख–सुविधा सम्पन्न हैं जबकि मजहबी (बाल्मीकि) व रमदसिया (दलित) सिक्खों के गुरूद्वारे अलग हैं। उनमें जाति प्रथा भी हिन्दु धर्म की तरह है जबकि गरूनानक ने सिक्ख धर्म की स्थापना समाज में व्याप्त व्यापक भेदभाव व कुरूतियां मिटाने के लिए की थी। ये बात र्निविवाद सिद्ध है कि छुआछूत और जातिगत हिंसा और भेदभाव का घृणित रूप हिन्दु धर्म में देखने को मिलता है ऐसा और धर्मों में कम है।

हिन्दु धर्म की सामाजिक व्यवस्था में जो व्याप्त पाखण्ड अमानवीय परम्परायें व छुआछूत पोंगापंथी दूर करने के लिए हमारे महापुरूषों, संतों, महात्माओं ने बहुत प्रयास किया है। तकरीबन ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने हिन्दु धर्म में व्याप्त कुरूतियों के खिलाफ जिहाद छेड़ा था। मध्य काल में कबीर, गुरूनानक, सन्त रैदास तथा बाद में महात्मा फूले तथा दक्षिण भारत के पेरियार व नारायण गुरू समेत अनेक महान पुरूषों व संन्तों ने अपने प्रवचनों व वाणियों द्वारा समाज में समानता लाने व जातिगत भेदभाव व छुआछूत को समाप्त करने के लिए अपने–अपने ढंग से बहुत काम किया है। परन्तु इन महापुरूषों द्वारा इस दिशा में किये गये प्रयासों से कोई विशेष फायदा नहीं हुआ और समाज में व्याप्त असमानता छुआछूत अमानवीय परम्पराऐं यथावत चलती रही। इन महापुरूषों के अलावा अनेक समाज सुधारकों ने अपने–अपने स्थानीय स्तर पर भी इस तरह का समाज सुधार का आन्दोलन चलाया गया। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द का प्रयास कुछ हद तक सीमित स्थानों पर सफल हुआ। जहां–जहां भी आर्य समाज का प्रभाव है वहां छुआछूत जातिगत भेदभाव का असर कम हुआ है। उदाहरण स्वरूप पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र आर्य समाज के कारण और क्षेत्रों की तुलना में समाजिक सुधार हुआ और छुआछूत कम हुई है।

देश के स्वतंत्र होने से पहले अस्पर्श्यता और जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए डा. अम्बेडकर व गांधी जी का अपने अपने ढंग से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोग स्वीकार करें या न करें, छुआछूत को कम करने के लिए दोनों का लक्ष्य एक था परन्तु उनकी सोच, कार्यविधि व प्रयासों में काफी भिन्नता थी। मैं बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा वंचित वर्गों के लिए जो अमूल्य व ऐतहासिक कार्य किया

उसका कोई मुकाबला नहीं है। परन्तु इसके साथ ही साथ गांधी जी ने अस्पर्श्यता (छुआछूत) मिटाने के लिए जो योगदान दिया है उस महत्व का भी स्वीकारता हूँ और गांधी जी के योगदान की सराहना करता हूँ। मैं गांधी जी की भूमिका को नकारता नही हूँ।

उन्नीसवीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक में बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने छुआछूत और जातिगत विभेद को मिटाने के लिए महाराष्ट्र को कर्मस्थली बनाकर जमीनी तौर पर बहुत काम किया है जिनमें महाड का तालाब व कालाराम मंदिर प्रवेश का आन्दोलन बहुत महत्वपूर्ण रहा, जिसका संदेश न केबल महाराष्ट्र वल्कि पूरे देश में गया। इसके साथ ही साथ उन्होने ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में भारत के दलितों की दयनीय स्थिति का वर्णन कर पूरे भारतीय समाज को झझकोरा। 1932 के पूना में सम्पन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में डा. अम्बेडकर और गांधी जी का आमना सामना हुआ जिसमें बाबा साहब ने भारत के अछूतों के दयनीय स्थिति का वर्णन बहुत ही ओजस्वी व प्रभावी ढंग से किया और गांधी को पहली बार पता चला कि भारत का अछूत वर्ग छुआछूत के कारण मानवीय अधिकारों से वंचित है और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कारगर कदम उठाने जरूरी हैं।

गांधी जी उस वक्त देश की आजादी की लडाई का नेतृत्व कर रहे थे और पूना में उन्होने राजनैतिक आन्दोलन के साथ–साथ अछूतों की हालत को सुधारने के लिए और छुआछूत को खत्म करने के लिए सामाजिक आन्दोलन शुरू किया।

गांधी जी ने छुआछूत निवारण कार्यक्रम को भी कांग्रेस का अंग बनाने का प्रयास किया परन्तु अधिकतर कांग्रेस के लोग इस विषय में ज्यादा रूचि न लेकर उदासीन ही रहे। उसके बाद गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कर छुआछूत आन्दोलन को चलाने का निश्चय किया। गांधी जी वर्ण व्यवस्था को बनाये रखना चाहते थे और उसी के अन्तर्गत इस छुआछूत और भेदभाव को दूर करना चाहते थे जबकि बाबा साहब डा. अम्बेडकर का मत ये था कि जब तक वर्ण वयवस्था खत्म नही होगी जब तक छुआछूत जातिगत की ये बीमारी दूर नहीं हो जायेगी। डॉ. अम्बेडकर द्वारा दलितोत्थान के लिए जो सुझाव दिये थे उनको ब्रिटिस सरकार ने अपने गर्वन्मैन्ट ऑफ इडिंया 1935 (ळवअजण व प्दिकपं ।बजण 1935) में भी समावेश शामिल किये गये।

स्वतंन्त्रता के बाद दलितो की स्थिति 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी के साथ देश को दो भागों में विभाजित कर दिया। हिन्दुस्तान व पाकिस्तान में बांट दिया। स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने का जब प्रश्न आया तो गांधी जी के दबाव व अनुरोध के कारण नेहरू व पटेल को बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा की मसौदा समिति (ड्राफ्टिंग कमेटी) का अध्यक्ष बनाकर बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा। मसौदा समिति में सिर्फ 7 सदस्य थे उनमें से ज्यादातर निष्क्रिय थे इससे संविधान बनाने का पूरा बोझ उनको ही उठाना पड़ा। चूंकि डॉ. अम्बेडकर स्वयं दलित थे और उन्हे दलितों की स्थिति व समस्याओं का गहन अध्ययन किया था ओर जमीनी स्तर पर काम करते अनुभव प्राप्त किया था इस कारण से उन्होने संविधान में दलितों के लिए मूलभूत संरक्षण सुविधाएं उनके आर्थिक उत्थान के लिए सामाजिक क्षेत्रों में व सरकारी नौकरी में आरक्षण व अन्य विशेष प्रावधान रखे थे। संविधान के आधार पर दलितों के लिए अनेक विशेष कानून बनाए गये ताकि छुआछूत और भेदभाव कम हो पाये और उनपर उत्पीड़न व अत्याचारों पर रोकथाम की जाये।

आज देश के संविधान को लागु हुए 70 साल हो गये परन्तु बड़े खेद की बात है कि आज भी संविधान संरक्षण और विशेष कानूनों के बावजूद भी न तो सामाजिक क्षेत्र में छुआछूत व जातिगत भेदभाव कम हुआ है और न ही उन पर होने वाली अमानवीय घटनाओं में कमी आई है अपितु उत्पीडन की ऐसी घटनाओं में वृद्धि हुई है।

1990 में पिछड़े वर्ग के लिए नौकरी में आरक्षण देने की बात कुछ मध्यम वर्ग और अधिक सबल हो गये और वे दलितों पर अत्याचार करने लगे हैं। जातिगत छुआछूत ओर भेदभाव बरकरार रहने का मुख्य कारण वोट की राजनीति की है जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के भाईचारे और सद्भाव में कमी आई है। यह दु:खद बात है कि सरकार ने कानून तो बना दिये परन्तु वे कागजों तक ही सीमित है और उनकी पालना करने वाले सरकारी कर्मचारी है उनके से अधिकतर वर्णव्यवस्था और छुआछूत की मानसिकता वाले है उनमें से अधिकतर लोग संवैधानिक प्रावधानों और मूल्यों के बारे में अनभिज्ञ हैं सरकार और राजनैतिक दल छुआछूत जैसी सामाजिक कोढ को मिटाने के लिए संवेदनशील नही है।सरकार की इच्छा श्शक्ति भी नही हैकि देश में सामाजिक व आर्थिक असमानता (SOCIO-ECONOMIC INEQUALITY) को कम करने के लिए कड़े कदम उठाये।

पूज्य गाँधी : एक निर्भिक व्यक्तित्व

साबरमती आश्रम बने आठ माह हो चुके थे, गाँधी जी को वाराणसी से पं. मदन मोहन मालवीय जी का निमन्त्रण मिला 4 फरवरी, 1916 को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का विधिवत उद्घाटन समारोह था। (उल्लेखनीय है विश्वविद्यालय की स्थापना 1892 में की गयी थी। उस समारोह में देशभर के राजे–महाराजे एवं अंग्रेजी अधिकारी वहां आयें, मंच पर बोलने वाले राजे–महाराज अंग्रेजी भाषण दे रहे थे व भारत की गरीबी मिटाने की बात कर रहे थे।

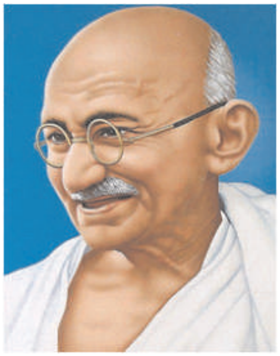

गांधी जी ने अपने भाषण के दौरान मंच से कहा, मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ वक्ता अंग्रेजी में बोल रहे हैं, जबकि यहां की जनता हिन्दी बोलती एवं समझती है। हम कब तक अपनी भाषाओं का तिरस्कार करते रहेंगे, मंच पर बैठे वक्तागण गरीबी मिटाने की बात कर रहे हैं, परन्तु मैं तो यहां मंच पर गरीबी की निशानी भी नहीं देखता। राजा–महाराजे हीरे–जवाहरात की पोशाक से सुशोभित हो रहे हैं। मेरा विश्वास है भारत का उद्धार तभी होगा जब ये धनी लोग अपने हीरे जवाहरात जनता की गरीबी दूर करने के लिये अर्पित कर देंगे। गांधी जी ने यह बात बड़ी निर्भिकता व दृढ़ता से कही।

गांधी जी का पूरा भाषण भारत के दु:ख की कथा कह रहा था, गहरी पीड़ा थी उनके शब्दों में! सामन्त वर्ग व अंग्रेजी शासन को आडे हाथों लिया। मंचस्थ लोग नीची गर्दन किये लाल–पीले हो रहे थे। वाराणसी कलेक्टर ने तुरन्त वाराणसी छोड़ने का आदेश दिया, परन्तु गांधी जी के इस प्रखऱ भाषण ने देशभर में एक चेतना ध्वनि पैदा की।

भारत के लोगों ने दक्षिणी अफ्रीका में भेदभाव के खिलाफ़ गांधी जी के किये प्रयासों एवं आन्दोलनों के बारे में थोड़ा बहुत सुन रखा था, पर अब गांधी जी की छवि लोगों के मन में अंकित होना शुरू हो गयी थी। देश में जहाँ भी शासन द्वारा अन्याय होता– लोग उन्हें बुलावा भेजते। गांधी जी भी वहाँ भी समय पर पहुंचते। इस तरह गांधी जी का आने–जाने आन्दोलनों में भाग लेने का सिलसिला चल पड़ा।

पहले चम्पारण, फिर अहमदाबाद के मील मज़दूरों के हक का आन्दोलन, फिर खेड़ा में किसान आन्दोलन आदि, गांधी जी हर जगह गये व अपनी निर्भिकता व व्यवहारिक दृष्टिकोण से राष्ट्र चेतना के महाअभियान से जुड़े रहे एवं भारतीय स्वतन्त्रता के लिये राजनीतिक रूप से अपनी महा यात्रा प्रारम्भ की।

टिड्डी दल हमले – ज्वलन्त मुद्दा व समाधान

हाल ही में टिड्डी दलों के हमले की वजह से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के किसानों को व्यापक स्तर पर नुकसान झेलना पड़ा है। पश्चिमी राजस्थान में मई, 2019 से मार्च, 2020 तक पिछले करीब एक वर्ष में राजस्थान में टिड्डियों के दल ने करीब 16 जिलों के 3 लाख से अधिक हेक्टेयर भूमि का क्षति पहुँचाई है और गेंहू, सरसों व जीरा जैसी फसलों में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। राजस्थान भारत के कुल जीरे उत्पादन में 44 प्रतिशत का योगदान करता है।

हाल ही में भारत सरकार द्वारा टिड्डी नियंत्रण के लिए उठाये उपायों बाबत एक प्रेस नोट जारी किया गया है। इसके अनुसार भारत सरकार बड़े पैमाने पर ज़हरीले कीटनाशकों का हवाई छिड़काव कराने की योजना बना रही है। हालाँकि इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि टिड्डी दल का हमला एक गंभीर चुनौती है जिसको नज़र अंदाज़ नहीं किया जा सकता परन्तु टिड्डी नियंत्रण के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि टिड्डी नियंत्रण उपायों से हवा, पानी, वातावरण एवं खाद्य पदार्थ प्रदूषित न हो। खतरनाक कीटनाशकों के हवाई छिड़काव के दुष्प्रभावों को वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित किया जा चुका है।

यह जानकर निराशा है कि कीटनाशकों के हवाई छिड़काव के इन जानेमाने दुष्प्रभावों के बावजूद, सरकार की टिड्डी नियंत्रण नीति

एकसूत्री है एवं अन्य उपायों को पूरी तरह नज़र अंदाज़ किया जा रहा है। देश विदेश के विशेषज्ञों द्वारा कई ऐसे गैर–रासायनिक उपाय सुझायें गए हैं जिनसे बिना गंभीर दुष्प्रभावों के टिड्डियों को नियंत्रित किया जा सकता है। टिड्डियों के नियंत्रण एवं नुकसान के संबंध में कुछ सुझाव हैं, जो इस प्रकार हैः–

1. टिड्डी दल की वजह से हुए फसल नुकसान का समुचित आँकलन करते हुए किसानों के नुकसान की भरपाई की जाए।
2. टिड्डियों के हमले की पूर्व सूचना किसानों तक सुगमता से पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित हो।
3. टिड्डी नियंत्रण विभाग को समुचित संसाधनों व तकनीकों से लैस किया जाए।
4. टिड्डी दल हमलों – राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाये।
5. क्योंकि टिड्डी दल रात को प्रवास नहीं करता एवं स्थिर रहता है, इसलिए इनको न केवल पकड़ कर इकट्ठा किया जा सकता है अपितु इनसे मुर्गी आहार भी बनाया जा सकता है। इसकी आर्थिक एवं भौतिक व्यवहार्यता स्थापित की जा चुकी है।
6. मुर्गीयाँ एवं बतखें इनका भक्षण करके टिड्डियों के नियंत्रण में सहायक होती हैं।
7. रासायनिक कीटनाशकों के बजाय अलसी के तेल, खाने वाले सोड़े, लहसुन एवं संतरे इत्यादि के अर्क इत्यादि से भी 24 घंटे के अन्दर टिड्डियों को खत्म किया जा सकता है एवं इनके प्रयोग का फसलों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता।
8. टिड्डियों के जीवन चक्र को समझकर समय से उपाय किये जाऐ तो ऐसे परजीवी फफूंद उपलब्ध हैं जो टिड्डियों को खत्म कर सकती हैं।
9. ऐसे किसी भी छिड़काव से जो टिड्डियों के लिए वनस्पति पदार्थ को अखाद्य बना दे, के बड़े पैमाने पर छिड़काव से भी टिड्डियों को नियंत्रित किया जा सकता है। तेलंगाना के एक प्रसिद्ध जैविक किसान के अनुसार धरती के चार फुट नीचे से (ताकि उसमें चिकनी मिट्टी के अंश हों) 30 से 40 किलो मिट्टी लेकर उसको 200 लीटर पानी में अच्छी तरह घोल कर 10–20 मिनट के लिए छोड़ दें एवं तदुपरांत निथरे हुए पानी को छानकर फसल पर छिड़काव करने से फसल टिड्डियों के भक्षण योग्य नहीं रहती। इस रेत वाले पानी को सामान्य तरीके से छिड़का जा सकता है। इसके छिड़काव के बाद वनस्पति पदार्थ अखाद्य हो जाते हैं एवं भक्षण योग्य नहीं रहते। टिड्डी दल का खतरा टल जाने के बाद सादे पानी से फसल पर छिड़काव करने से रेत की परत को पत्तों से हटाया जा सकता है/ज़रूर हटाया जाना चाहिए।
10. शोर मचा कर, 50 फुट ऊँचे जाल लगाकर या टिड्डियों के झुण्ड के बीच हवाई जहाज चलाकर या अन्य किन्ही उपायों से अगर टिड्डी दल को बिखेर दिया जाए तो भी इसका दंश कम किया जा सकता है।

रासायनिक उपायों को छोड़कर इन जैविक/गैर– रासायनिक उपायों के माध्यम से ही टिड्डियों को नियंत्रण किया जाना चाहिए, फिर भी अगर सरकार किन्हीं कारणों से पूरी तरह से रासायनिक उपायों को न छोड़ना चाहें तो कम से कम आबादी के पास के इलाकों, जल स्रोतों के भंडारण क्षेत्रों में तो रासायनिक उपाय न अपनाकर उपरोक्त सुरक्षित उपायों को ही अपनाना चाहिए।

किसान सेवा समिति महासंघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर किसान हित के मुद्दों के समाधान की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है।

राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है, जिसकी 65 प्रतिशत आबादी (जनता) कृषि पर निर्भर है। अनिश्चित मानसून, जल की कमी, जलवायु परिवर्तन से होने वाली विश्वव्यापी उष्णता, रासायनिक एवं उर्वरकों के असन्तुलित प्रयोग किसानों एवं कृषि के सामने गम्भीर चुनौति है।

अत: आपसे विनम्र आग्रह है कि किसानों से जुड़े निम्न मुद्दों पर किसानों का समर्थन करते हुये मुद्दों के समाधान करवाने का श्रम करें।

1. समर्थन मूल्य खरीद केन्द्र खोलने के लिये ग्राम सेवा सहकारी समितियों को अधिकृत किया जाये। यदि सरकार सहकारी समितियों के माध्यम से किसान का उत्पाद खरीदती है व भण्डारण की सुविधा उपलब्ध करवाती है तो स्थानीय छोटे किसानों हेतु लाभकारी होगा। ये केन्द्र वर्ष भर खुलें।
2. किसानों को आपदाओं व अन्य कारणों से फसल नष्ट हो जाने या खराब हो जाने पर अविलम्ब गिरदावरी की व्यवस्था सुनिश्चित हो ताकि समय पर फसल खराबा का मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित हो व उसकी समुचित मॉनिटरिंग हो।
3. राज्य को जी. एम. फ्री स्टेट घोषित किया जाये ताकि जैव परिवर्धित बीजों से पर्यावरण, जन सामान्य के स्वास्थ्य एवं किसानों की आजीविका पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों से बचाया जा सके।
4. किसान को अपनी उपज/ लागत का 50 प्रतिशत लाभकारी मुल्य पर खरीदने की नीति बने, जिससे किसान को फसल बेचने पर घाटा न हो।
5. जैविक खेती प्रोत्साहन हेतु जैविक बाजार एवं विशेष जैविक कृषि जोन व्यवस्थित रूप से विकसित किये जाये।
6. प्राकृतिक आपदा यथा अग्निकाण्ड व बाढ़ से होने वाले नुकसान पर राजस्व पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर पीड़ितों को मुआवज़ा दिये जाने की नीति बनें।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही गम्भीर बीमारियों के खतरों को देखते हुये सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर वर्ष में दो बार रोगों के नि:शुल्क जांच कैम्प लगवाये जाये।
8. राजस्थान में विद्युत की यूनिट दरें उत्तर प्रदेश को छोड़कर भारत में सबसे ज्यादा है व दो माह के बज़ाय एक माह में विद्युत बिल आने से मीटर सरचार्जा दुगना हो गया है। यह उपभोक्ताओं को आर्थिक शोषण है। अत: विद्युत दरों को कम किया जाये व मीटर सरचार्ज आधा किया जाये।
9. जलवायु परिवर्तन से मौसमी बदलाव हो रहे हैं। एकसाथ बारिश होना, खण्ड वृष्टि होना, अनावृष्टि होना एवं अन्य प्राकृतिक आपदा होने पर फसल खराबा पर ग्राम पंचायत को इकाई माना जाये, जिससे फसल बीमा योजना का किसानों को वास्तविक लाभ मिल सके।

4–5 मार्च, 2020

शीर्ष संस्थाओं का क्षमतावर्धन

सिकोईडिकोन द्वारा संस्थागत विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शीर्ष संस्थाओं किसान सेवा समिति महासंघ, किसान सेवा समितियां, युवा मन्च व महिला संगठनों का संयुक्त रूप से क्षमतावर्धन कार्यक्रम 4–5 मार्च शीलकी डूंगरी स्थित संस्था परिसर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संगठनों के विकास के विभिन्न मुद्दों पर समझ विकसित करना व संगठनों के आपसी समन्वय को मज़बूत करना है। दो दिवसीय इस कार्यक्रम में सतत विकास, पंचायतों के सशक्तीकरण, दस्तावेजीकरण, आजीविका एवं खाद्य

सुरक्षा व जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर आपसी भागीदारी से विषय–विशेषज्ञों के साथ चर्चा की गयी।

साथ ही किसानी–खेती व समाज के विभिन्न मुद्दों पर आपस में गहन विचार–विमर्श कर उनके समाधान का मार्ग तलाशने के साथ उस पर आगामी रणनीति पर मन्थन किया गया। इस अवसर पर विशेष सत्र में डॉ. शिप्रा माथुर द्वारा की विकास की सफल कहानियों को रोचकपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया ताकि उन कहानियों से प्रेरित होकर कार्य की दिशा तय हो सके एवं स्थानीय विकास को मज़बूती प्रदान की जा सके। संस्था के निदेशक पी. एम. पॉल ने अपने उद्बोधन में संगठनों के प्रासंगिक बने रहने हेतु नवाचार एवं युवाओं को जोड़ने पर बल दिया।

कार्यक्रम में सभी शीर्ष संस्थाओं के सभी सदस्यों ने अपनी सक्रिय सहभागिता निभाते हुये विकास को चुनौतियाँ एवं सभी मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किये।

स्मार्ट फार्मिंग – बढ़ती आय

श्री बाबू लाल बैरवा एक साधारण परिवार के किसान है। परिवार की आजीविका खेती व पशुपालन पर निर्भर है। निवाई क्षेत्र में सन 2000 से सिकोईडिकोन संस्था का कार्य शुरू हुआ। ग्राम विकास समिति गठन प्रक्रिया में आप नया मौज़ा जयसिंहपुरा ग्राम के V.D.C. अध्यक्ष बनाये गये। श्री बैरवा की समाजिक गतिविधियों में सक्रियता के चलते उन्हें ग्रामस्तरीय जलग्रहण समिति, शिक्षा समिति एवं किसान सेवा समिति के सदस्य की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। आपको अनेक शैक्षणिक भ्रमणों एवं प्रशिक्षणों में जाने का अवसर मिला।

आप स्वयं खेती करते हैं एवं जागरूक किसान के रूप में आपकी क्षेत्र में पहचान है, आप संस्था, सरकारी विभाग, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग व के.वी.के. वनस्थली की सभी बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते है। आजीविका सुरक्षा कार्यक्रम के तहत स्मार्ट फार्मर के रूप में आपका चयन किया गया। अपनी 4 बीघा कृषि भूमि पर स्र्माट फार्मिंग के अनुरूप खेती करने का प्रयास कर रहे हैं। खेती में जैविक खाद एवं देशी खाद (खेती में कम्पोस्ट व वर्मी कम्पोस्ट पीट से निर्मित खाद) फसलों, सब्जियों व फलदार पौधों में डाल रहे है। वर्मी कम्पोस्ट के भी लगभग 15 कट्टे तैयार हुये है। आपको फलदार प्रदर्शनों में अमरूद, अनार, नींबू, अंजीर, पपीता, आँवला के पौधे दिये गये। मूंगफली का उत्पादन अच्छा हुआ, डेढ़ बीघा जमीन में 4950 रूपये का बीज बोया गया था, बाजार में बेचने पर 30,000 रूपये की आय हुयी।

मटर एक बीघा जमीन मे मटर बोये गये मटर का बीज 4400 रूपये का खरीदा गया था। जिसका उत्पादन अच्छा हुआ और बाजार मे बेचने से 50000 रूपये की आय हुई।

सरसों 2 बीघा जमीन मे सरसों की उराई की गई जिसकी बीज की लागत 2800 रूपये आयी। किसान ने बताया की कम लागत से शुरू की गई फसल मे मुनाफा अच्छा हुआ। बाज़ार मे बेचने से 46700 रूपये की आय हुई।

सब्ज़ी किसान ने बाज़ार की पेस्टिसाइड व रासायनिक सब्ज़ियों से बचाव हेतु घर पर ही 6–7 क्यारियों में गर्मी की सब्ज़ी ग्वारफली, भिंडी लगायी है, जिसका उपयोग रोज़ सब्ज़ी के रूप मे किया जा रहा है।

स्मार्ट फार्मर ने संस्था द्वारा किये गये सहयोग के बारे में बताया की कि स्मार्ट फार्मिंग के रूप मे खेती में 34951 रूपये का सहयोग दिया है। किसान सहयोग के रूप मे 13350 लिया गया और वर्ष का कुल उत्पादन 1,19,750 रूपये का हुआ है।

वर्ष के उत्पादन को लेकर स्मार्ट फार्मर का कहना है कि अधिक बारिश से हुए नुकसान के बावजूद भी खेती मे पिछले वर्षों की अपेक्षा अच्छा मुनाफ़ा हुआ है।

सक्रिय किसान होने के नाते सरकारी योज़नाओं का भी मिला लाभ

1 प्याज भण्डारण पर प्रशिक्षण लिया और अपने खेत पर प्याज़ भण्डारण प्रदर्शन लगाया, जिसमें सरकारी अनुदान 87 हजार 500 रूपये व 25 हजार किसान का सहयोग रहा।

2 कृषि विभाग से पाइप लाइन के लिए 15 हजार की सरकारी छूट पर 30 पाइप व 6 फव्वारे लिए है।

3 दूरदर्शन चैनल जयपुर से जुड़े।

4 उद्यानिकी विभाग से भी जुड़े और समय–समय पर विभिन्न प्रशिक्षणों में शामिल हुए कृषि विभाग द्वारा समय–समय पर सलाह लेते रहते हैं, उनके बताये अनुसार खेती में नवाचार करते रहते हैं।

5 पंत कृषि भवन, जयपुर से किसान संगोष्ठी मे भाग लिया।

जैविक खेती – लाभ

– विनोद शर्मा

वर्तमान में आर्थिक समृद्धि के लिये हम हमारी देशी, परम्परागत खेती जो कि कृषक हितैषी तथा पर्यावरण सम्मत थी उसे भूले जा रहे हैं और उसी के कारण हमारी खेती की लागत बढ़ती जा रही है और मृदा उत्पादकता कम होती जा रही है। खेती जो किसान की आजीविका चलाने का प्रमुख साधन है वो ही अलाभकारी होने से किसान का जीवन संकट में है। ऐसे समय में हमें हमारी देशी खेती, परम्परागत खेती को अपनाना होगा ताकि खेती की लागत कम हो सके और मृदा उत्पादकता बढ़ सके।

जैविक खेती के लाभ

1. मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ेगी और जिससे फसल में सिंचाई का अन्तराल बढ़ेगा और भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होगी।
2. हाईब्रीड बीज, रासायनिक खाद, दवाईयों पर निर्भरता कम होने से खेती लागत में कम आयेगी।
3. भूमि की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक सरंचना में सुधार होता है, जिससे वायु संरचण, मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे भूमि उपजाऊ बनती है।
4. जैविक उत्पाद का बाजार में अधिक मूल्य मिलता है जिससे अधिक आय से किसान की आय में वृद्धि होगी।
5. जैविक खेती किसान हितैषी व पर्यावरण हितैषी है।
6. जैविक खेती से भूमि, वन, पानी, ऊर्जा व जैव विविधता जैसे संसाधनों का संरक्षण होता है।
7. जैविक खेती से प्राप्त उत्पाद की गुणवत्ता उत्तम होती है और इनका मानव स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।
8. जैविक खेती में, खरपतवार, कीट व बीमारियां कम लगती है।

हमें फिर से अपनी देशी, परम्परागत खेती को अपनाना होगा, तब ही जाकर किसान का जीवन जो संकट में है वो सुरक्षित हो पायेगा, किसान की आजीविका सुरक्षित हो पायेगी।

रक्षण परियोज़ना

लक्ष्य– बच्चों के लिए आर्थिक स्वायत्तता, सुरक्षित वातावरण निर्माण एवं शिक्षा सुनिश्चित करने में मदद करना। ग्रामीण एवं आदिवासियों के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र बनाना और स्थानीय शासन को मजबूत करना।

उद्देश्य–

1. चयनित गांव में महिलाओं एवं युवाओं के लिए स्थायी आज़ीविका सुनिश्चित करना।
2. बाल और युवा अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए ज़मीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थानों एवं मंचों को मज़बूत करना।
3. नट समुदाय की महिलाओं और बालिकाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना।
4. गांव में हस्तक्षेप के दायरे का आंकलन करना। (नये गांव का सर्वेकरना)
5. बाल संरक्षण के मुददों पर कार्यकर्ताओं एवं मोबिलाइजर का क्षमतावर्धन करना।

कार्यक्षेत्र– मालपुरा–20,

गतिविधियाँ –

- बागवानी 10 गांव में की गई 100 परिवार को फलदर पौधौं का वितरण किया गया। लगभग 800 पौधे किचन गार्डन में लगाये गये।
- सिंधोलिया गांव मालपुरा में एक बीज़ बैंक स्थापित कर दिया गया है। बीज़ बैंक किसानों को समय पर एवं कम दर पर गुणवत्तापूर्ण स्वदेशी बीज उपलब्ध कराये गये। राजस्थान में अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं और उनके पास भण्डारण की कोई जगह नहीं है इसलिए वे बाजार से उच्च दर के बीज़ खरीदने के लिए मज़बूर हैं। सामुदायिक बीज़ बैंक इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान है।
- चयनित गांव में प्रति गांव 20 परिवारों को किचन गार्डन को बढ़ावा दिया गया। कुल 400 परिवारों को इसका लाभ मिला। किचन गार्डन के माध्यम से घर की आवश्यकता हेतु रसोई के लिए बहुत कम खर्च में सब्जियां उगाकर परिवार अपनी आर्थिक बचत करने के साथ–साथ प्रतिदिन शुद्व एवं ताजा सब्जियां प्राप्त करने की और इससे भोजन में पौष्टिकता बढ़ी।
- 10 परिवारों की आज़ीविका बढ़ाने के लिए सब्ज़ी प्रदर्शन लगाये गये। जिसमें किसानों को अधिक लाभ मिला। बदाम देवी ने 11020 रू. के मटर बेचे, गुलाब देवी ने 11200 रू. के टमाटर, बैंगन और मिर्ची से लाभ लिया, प्रेम देवी यादव ने 25300रू. के टमाटर बेचे। कालीदेवी ने 7072 रू. के मटर एवं मानादेवी ने 10090 रू. मटर बेचे हैं। महिलाओं को कृषि आधारित तकनीकी का प्रशिक्षण भी दिया गया।
- चयनित गांव में दो सिलाई केन्द्र खोले गये। महिलाओं के द्वारा बैग बनाने का कार्य जारी है। केन्दों पर 20 महिलाओं ने नियमित कार्य किया और अपनी आजीविका बढ़ाई।
- आजीविका विकल्पों को आगे बढाने के लिए नट समुदाय में दो मुर्गी पालन इकाइयों को विकसित किया गया।
- गांव के 26 युवक युवतियों को आइसीआइसीआइ फाउन्डेशन के माध्यम से तीन माह का व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़कर रोज़गार से जोड़ा गया।
- स्टेट ओपन एजूकेशन से 118 युवा बालक–बालिकाओं का नामांकन करके उन्हें शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई।
- 10 प्रजनन स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। जिससे महिलाओं और बालिकाओं की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित को सके।

- बाल अधिकारों एवं युवा अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया गया। स्कूल ड्रॉप आऊट के लिए माध्यमिक शिक्षा ओपन स्टेट से सुनिश्चित की गई। आरएससीआइटी के माध्यम से युवाओं को कम्प्यूटर कोर्स कराया गया। बाल पंचायत एवं युवा मण्डल के संगठनों को मजबूत किया गया। ग्राम स्तरीय संगठनों को मजबूत किया गया। जैसे–(SDMC/SMC, VLCPC, VHSNC) नट समुदाय के 50 बालक बालिकाओं को 10,000 रू. की छात्रवृत्ति दी गई।

ओर नया जीवन मिला............

शमीना फागी क्षेत्र के चित्तोड़ा ग्राम की निवासी हैं, उसे राजस्थानी महिला सहकारी समिति के सहयोग एवं व्यवहारिक कदमों से नयी जिन्दगी मिली।

1917–18 में शमीना ने मणिहारी कार्य हेतु 30,000 रूपये का ऋण लिया। वह चित्तौड़ा के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई थी। भूमिहीन परन्तु दृढ़ संकल्प एवं मेहनत के बल पर उसकी दुकान चल निकली, ग्राहक आने लगे व वह अपने परिवार का पालन–पोशण के साथ अपने बच्चों को व्यवस्थित पढ़ाई करवाने लगी। उसका जीवन सुखमय गुजरने लगा, अपने पति को भी उन्होंने सहायक कार्य घिसाई में रोज़गार लगवाया। परन्तु दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा, उसे 2019 के प्रथम माह में गम्भीर बीमारी ने आ घेरा व उसने असाध्य बीमारी में भी अपनी दुकान के कार्य को नहीं छोड़ा, परन्तु डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया व ऑपरेशन करीब 50,000 लगेंगे, यह डॉक्टर्स ने बताया, वह व उसका परिवार चिन्ता में डूब गया, वह परिवार पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती थी।

इस दौरान राजस्थानी महिला सहकारी समिति के कार्यकर्ता समिति कार्य हेतु उसके घर आये, तो उसने उन्हें अपनी बीमारी व ऑपरेशन हेतु बताया। रूपयों की व्यवस्था में असमर्थता व्यक्त की तब समिति कार्यकर्ता ने मामले की गम्भीरता समझ समिति के पदाधिकारियों व अधिकारियों को जानकारी दी तो उन्होंने तत्काल 50,000 की राशि स्वीकृत कर दी। शमीना ने ऑपरेशन करवाया, वह सफ़ल रहा। वह मानती है कि समिति के सहयोग व प्रयासों से उसे नया जीवन मिला। आज शमीना व्यवस्थित रूप से अपनी दुकान चला रही है, उसने समिति का ऋण भी चुकता कर दिया व बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा रही है।

स्वच्छता की ओर युवाओं की पहल

टोंक जिले के मालपुरा ब्लॉक से 15 किलोमीटर दूर जयपुर रोड से पूर्व की ओर एक गांव है जिसका नाम जयसिंहपुरा है। ग्राम स्तर पर लोगों की मुख्य आजीविका कृषि एवं पशुपालन है। जो अपनी खेती के कार्य एवं पशुपालन में पूरे दिन व्यस्त रहते है। जिसमें दरोगा, नट, बैरवा, भांड, नाई, जाट, ब्राहमण आदि जातियां है इसमें नट समुदाय की जाति का अलग ही मौहल्ला है लेकिन यह समाज साफ–सफाई कम ही रखते है एवं कचरे को ईधर–उधर ही डालते रहते है जिससे गलियो में गंदगी फैली रहती है एवं मौहल्ला मुख्य सड़क पर होने से आने–जाने वालों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है।

दिनांक 17 जून, 2020 को उज्ज्वल भविष्य युवा मण्डल ने बैठक की जिसमें ग्राम स्तर पर आ रही समस्याओं को चिन्हित किया गया। जिसमे गांव की मुख्य समस्या गंदगी की निकल कर आई। जिस पर सभी युवा साथियो ने आपस मे विचार किया कि इसका समाधान क्या हो सकता है। जिस पर अलग–अलग विचार आए जिसमें एक सुझाव कचरा पात्र रखने का आया लेकिन ये बनवाने के लिए पैसे कहां से लाए ये समस्या सामने आ गई। जिस पर उन्होने विचार किया कि सिकोईडिकोन संस्था से कुछ मदद मिल जाए तो शायद अपना सपना पुरा हो सकता है जिस पर युवा

मण्डल ने एक प्रस्ताव लेकर संस्था मे दिया गया। शाखा प्रभारी मालपुरा द्वारा स्वराज स्तर पर बात कर युआओं को कचरा पात्र बनवाने मे सहयोग देने का आश्वासन दिया।

युवा मण्डल द्वारा सहयोग राशि के लिए ग्राम स्तर से चन्दा एकत्रित करना शुरू किया जिस पर गांव से युवाओं ने 8500रू. का सहयोग प्राप्त हुआ इसके बाद गांव में 5 कचरा पात्र बनवाकर रखवाया गया जिसका कुल खर्चा 16500रू. आया जिसमें संस्था ने 8000रू का सहयोग दिया गया।

गांव मे कचरा पात्र रखवाने पर युवाओं ने 2000रू. प्रतिमाह से कचरा पात्रों की सफाई करवाने हेतु एक कर्मचारी रखा गया जो प्रतिदिन कचरा पात्रों की सफाई कर रहा है इसके बाद गांव में दूसरे मौहल्ले के लोग भी इनकी सफाई को देखकर स्वयं ही अपने स्तर पर अपनी–अपनी गली मौहल्लों की सफाई करने लग गए। ग्रामिण लोग युवाओं की एक अच्छी पहल की सराहना करने लगे कि युवा पीढी आगे आए तभी गांव का विकास होना संभव है।

युवा वर्ग व बेरोजगारी

पूर्व राष्ट्रपति महामहिम डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का यह कथन युवाओं के लिये मार्गदर्शन है, कि नौकरी पाना तुम्हारा उद्देश्य नहीं होना चाहिये, बल्कि खुद को इस योग्य बनाओ कि दूसरों को दे सको।

सही भी है आज का युवा शिक्षा, तकनीकी एवं संसाधनों के लिहाज़ से पहले की तुलना में सशक्त है, उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। उनमें अपार प्रतिभा एवं क्षमता भी है व देश युवा शक्ति के बल पर अर्थव्यवस्था एवं तनीक में नयी ऊँचाईयाँ छू सकता है, क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश है।

आज का युवा काम करना चाहता है, देश के विकास व अर्थव्यवस्था में हाथ बंटाना चाहता है परन्तु उन्हें आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। परन्तु अनियोजित विकास की नीतियां एवं पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार के जाल में उलझी होने से उनमें से अधिकांश युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर बेरोजगार से ग्रस्त हो निरूद्देश्य भटकता दिखाई दे सकते है।

सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने से सरकारी नौकरियों में भी रोजगार के अवसर कम होने से यह वर्ग तनाव में भी जी रहा है व उनकी भविष्य की दिशा भी स्पष्ट नहीं है। हमारे देश में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है व पिछले 70 सालों में काफी विकास किया है। सरकार को देश के प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमता एवं दूरदर्शिता से इस्तेमाल कर युवाओं की सार्थक शिक्षा कौशल प्रशिक्षण, नवाचार, स्वरोजगार व व्यवसायिक रोजगार के अवसर प्रदान करने होंगे। आगे की राह स्वयं युवा बना लेंगे। फिर वे देश की सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में एक कदम आगे बढ़ेंगे।

जरूरत इस बात की भी है कि गरीबी एवं बेरोजगारी को बढ़ाने वाले विकास के मापदण्डों को त्याग कर हम विकास का ऐसा रास्ता चुनें, जिसमें सभी को क्षमता एवं प्रतिभा अनुसार रोजगार उपलब्ध हो। परन्तु दुर्भाग्यवश भू–माफिया की तरह शिक्षा माफिया पनप रहे हैं, जिसमें गरीब के बच्चे के लिये कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वह कोचिंग का आर्थिक भार वहन नहीं कर सकता। दूसरी ओर उच्च शिक्षा व रोजगार में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस भ्रष्ट कार्य संस्कृति को कौन बदलेगा? सवाल है जो संविधान देश समस्त नागरिकों को समान सामाजिक बराबरी न्याय एवं अधिकार देता है, क्या उसमें सफ़ल हुये है?

सकारात्मक पहलू भी है एक ओर किसान का बेटा खेती से भाग रहा है तो दूसरी ओर IIT छात्र कृषि क्षेत्र में नवाचार कर नई तकनीकों द्वारा पैदावार बढ़ा परिवार की आय बढ़ा रहा है। नौकरी गौण हो रही ऐसे युवाओं के लिये। देश का नेतृत्व अगर दूरदर्शी हो तो युवा शक्ति को बेरोजगारी से भी मुक्ति मिल सकती है। वह देश के विकास में अपना अहम योगदान दे सकता है।

शोषित पीड़ित हर किसान

अखिल विश्व के लिय अन्न, फ़ल, दूध जुटाने वाले हम,
शोषित पीड़ित हर किसान का भाग्य ज़गाने वाले हम।

हमें किसी से बैर नहीं है, हमें किसी से भीति नहीं,
सबसे मिलकर काम करेंगे, संगठनों की रीति यही।

जातिवाद एवं राजनीति का भेद मिटाने वाले हम,
शोषित पीड़ित हर किसान का भाग्य जगाने वाले हम।

अपने घोर परिश्रम से हम पैदावार बढ़ा देंगे,
कंकड़, पत्थर समतल कर बंजर में फ़सल उगा देंगे।

भारत मां का खोया वैभव वापस लाने वाले हम,
शोषित, पीड़ित हर किसान का भाग्य जगाने वाले हम।

और किसी के मुँह की रोटी हरना अपना काम नहीं,
पर अपने अधिकार गंवाकर, कर सकते आराम नहीं।

अपने हक के लिये सतत् संघर्ष चलाने वाले हम,
शोषित, पीड़ित हर किसान का भाग्य ज़गाने वाले हम।

पूंज़ीपतियों से मिलकर अफ़सरशाही ज़ाल बिछाती है,
करें दिन-रात मेहनत हम पर हालत सुधर न पाती है।

इनके फौलादी पन्ज़ों से मुक्ति दिलाने वाले हम,
शोषित, पीड़ित हर किसान का भाग्य जगाने वाले हम।

अपना पथ आसान नहीं है यह भी हमने जाना है,
पर मन्ज़िल तक पहुँचेंगे, यह निश्चय हमने ठाना है।

त्याग, तपस्या, कुर्बानी की शमा ज़लाने वाले हम,
शोषित, पीड़ित हर किसान का भाग्य ज़गाने वाले हम।

किसान सेवा समिति महासंघ

आज़ादी के उपरान्त देश में विभिन्न संगठन अलग–अलग वर्गों के मुद्दों को लेकर किसान, गरीब व वंचितों की आवाज उठा रहे हैं। इसी क्रम में किसानों व गरीबों की आवाज को उठाने के लिए राज्य में अलग–अलग संगठनों में किसान सेवा समिति कार्य कर रही है। किसानों व वंचितों के मुद्दों की राज्य–स्तर पर आवाज़ को मज़बूत करने के लिए 2004 में किसान सेवा समिति महासंघ का गठन हुआ जो सतत् रूप से किसानों, गरीबों, वंचितों, महिलाओं व दलितों की आवाज़ को मज़बूत कर रही है।

महासंघ केवल जड़स्तर के मुद्दों को राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर ले जाता है अपितु राज्य व राष्ट्र स्तर पर नीतियों को जड़स्तर तक पहुंचाने व मुख्य रूप से क्रियान्वित हेतु कार्य करती है।

परिचय :-

किसान सेवा समिति महासंघ राज्य स्तरीय जन संगठन है– जो किसानों, महिलाओं, दलित, आदिवासी एवं वंचित वर्ग के सामाजिक–आर्थिक विकास एवं इनके हितों से जुड़े मुद्दों व अधिकारों की क्षेत्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरवी करना है। जो विशुद्ध गैर राजनीति जन आन्दोलन पर आधारित है। महासंघ का प्रमुख कार्य राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों को प्रकाश में लाना व उन पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना है। समान विचारधारा वाले संगठनों को संगठित करने के साथ–साथ उसमें राष्ट्रीय बोध, समतामूलक, शोषण मुक्त समाज की रचना आदि नीतियों के प्रति सहमति बनाना भी महासंघ का लक्ष्य है। हम मूल्य आधारित ऐसी शक्ति हासिल करना चाहते हैं कि सरकारों को ऐसी नीतियों को बदलने को मजबूर करने की क्षमता हासिल कर सके जो जनहित की न हो। स्थानीय ब्लॉक एवं जिला स्तर पर संगठनों एवं समुदाय प्रतिनिधियों की जागरूकता एवं क्षमता वृद्धि करना ताकि वे सामुदायिक अधिकारों को वास्तविक रूप से लागू करने एवं सुनिश्चित करने में स्थानीय सुशासन प्रक्रिया, पंचायत राज एवं जन–आन्दोलनों के साथ सहज़ता से जुड़े रहे। ऐसे मुद्दों पर प्राथमिकता रहेगी, जो आमजन से जुड़े हुए हों, विशेषतः प्रयास– दलित, वंचित, महिला, बच्चे व किसान से जुड़े होंगे।

वर्तमान समय के कार्य :-

जलवायु परिवर्तन, शिक्षा की विसंगतियों एवं समानीकरण, महंगाई, राहत कार्य सर्वे, जैव परिवर्धित एवं जैव विविधता, अकाल, चारा–पानी, सार्वजनिक वितरण, असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिले इस सन्दर्भ में महिला उत्पीड़न, भू–अधिकार, नरेगा, घुम्मकड़ जातियों के हितों पर, राज्य बजट पर, स्वास्थ्य।

भावी योजना:- राज्य स्तरीय संगठन के प्रतिनिधि राज्य के सभी जिलों से जुड़े हों तथा हम एकजुट होकर राज्यस्तरीय प्रयासों को ज्यादा गति दो पायें।

प्राथमिकताएं :-

जलवायु परिवर्तन ,राज्य की स्थायी अकाल एवं जलनीति बनवाना व प्रभावी क्रियान्वयन करवाने का सतत प्रयास। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ समुदायों तक पहुँचाना सुनिश्चित करना। पंचायतों को उनके अधिकार दिलवाना। खाद्य सुरक्षा की बिल की अनुपालन करना। शिक्षा के अधिकार बिल की सही अनुपालना।

महिलाओं व दलितों के अधिकारों को दिलवाना। भू–अधिकार से वंचितों को अपना अधिकार दिलवाना। साझा समझ वाली संस्थाओं से नेटवर्किंग

सीख :- जीवन वास्तव में अनवरत सीखने एवं विकास करने की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया प्रभावी एवं उपयोगी हों, अतः प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने साथ–साथ उस समाज की ताकत एवं कमज़ोरियों से परिचित हो जिसका वह अंग है।

किसान सेवा समिति महासंघ

स्वराज कैम्पस, एफ-159-160, सीतापुरा औद्योगिक एवं संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302022 (राज.)

टेलीफोन : 0141-2771488, 7414038811/22/33 फैक्स : 0141-2770330

UNIQUE PRINT IN • 9414363099